

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(अंगोच्छेदन या अंगो की पूरी स्थाई अंगघात और अंधापन की दशा में)

उ0प्र0 सरकार विकलांगजन विकास अनुभाग-3 सं0 519/65-3-2014-62/98 तखनऊ दिनांक- 03 सितम्बर, 2014 के अनुसार  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा

प्रमाण पत्र संख्या- 1414

दिनांक- 11/11/14

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री /श्रीमती/ कुमारी धीरेन्द्र अग्निहोत्री

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री नवल निशोर माता का नाम श्रीमती अंजू

जन्म की तारीख 12-8-1991 आयु वर्ष 28 वर्ष

पुरुष/महिला रजिस्ट्रेशन नं0 191700040003770



निवासी ग्राम 32 रस्ता पुरा तह नरैनी डाकघर नरैनी जिला- बांदा

राज्य उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है, की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ। कि

(क) यह मामला P.P.A.P (R) lower limb

- 1- चलन संबंधी निःशक्तता
- 2- नेत्रहीनता का है (कृपया जो लागू हो उस पर ठीक का निशान लगाए)
- (ख) उनके मामले में निदान है।

(ग) उन्हे मार्गदर्शक सिद्धान्तों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उनके (शरीर के अंग) के संबंध में.....

50% (अंक में) fifty only प्रतिशत (शब्दों में) स्थाई शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता है।

2- आवेदक के निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:- (Permanent)

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा
भा.का. सं० 513310326155	—	भा.का. सरका

हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

धीरेन्द्र अग्निहोत्री

(Vikas)  
अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत  
हस्ताक्षर और मोहर सहित  
सं० मु०चि०ब०, बांदा

प्रतिहस्ताक्षरित

Sau

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
मुख्य निवादाता अधिकारी  
बांदा